कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 905 /12—1 देहरादूनः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद बागेश्वर में जौलकण्डे—शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/15461/2015)

सन्दर्भः— भारत सरकार का की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/13/2017/एफ0सी0/1462 दिनांक 29—11—2017।

महोदय,

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी अनुपालन ऑख्या कार्यदायी संस्था द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग को प्रेषित की गई है जिसे प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 5128/12—1—2 दिनांक 23—06—2023 से वन संरक्षक, वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे उनके द्वारा अपने पत्रांक 139/12—1(2) दिनांक 19—07—2023 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

कतिपय तकनीकी कारणों से प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा था तथा उनके स्तर से प्रकरण ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित नहीं हो पा रहा था। प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार उनके द्वारा NIC भारत सरकार से सम्पर्क किया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण को ऑनलाईन अग्रसारित किये जाने हेतु नोडल कार्यालय स्तर पर विकल्प उपलब्ध है। अतः उनके द्वारा अपने पत्रांक 1723/12—1—2 दिनांक 27—10—2025 से प्रकरण को ऑनलाईन स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित किये जाने, का अनुरोध किया गया है प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार ऑख्या निम्नानुसार है—

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.470 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग को पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्परण किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु रू0 12,45,855.00 (बारह लाख पैतालीस हजार आठ सौ पचपन) मात्र की धनराशि भुगतान RTGS/ NEFT के माध्यम से UTR SBIN5202107313568 623 दिनांक 31—07—2021 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न—1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट का

		जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 276 / छब्बीस–वन / 2017–18 दिनांक 08–12–2017 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक 301 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 दिनांक 23 जून 2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 दिनांक 31.07.2021 द्वारा रु0 14,68,658.00 (चौदह लाख अड़सठ हजार छः सौ अठावन) मात्र जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन.पी0वी0 की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गई है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–03)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पात्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधिप्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम से जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से कियाग जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के दतर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनरशि UTR SBINR 52021073135368623 दिनांक 31.07.2021 द्वारा रु0 27,14,513.00 (सत्ताईस लाख चौदह लाख पांच सौ तेरह) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
6	State Govt. will submit/upload revised NPV calculation sheet after applying correct density as mentioned in online	Revised NPV calcilation sheet is being sent. **(संलग्न–5)**

	Partt-II	
7	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E Online Part-I	Emploment details uploaded at para-E online Part-I

अतः प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से उपरोक्तानुसार प्राप्त ऑख्या को संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 905 /12–1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0 05963-220249 वन मित्र काल सेंटर- 9208008000

पत्रांक 1723 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 27 / 10 /2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – 1. जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15461/2015)
2. जनपद बागेश्वर में जखेड़ा से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15304/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव का उत्तरालेख इस कार्यालय के पत्रांक 5128/12–1–2 दिनांक 23.06.2023 तथा 692/12–1–2 दिनांक 13.08.2024 को पूर्व मे प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) वर्तमान में ऑनलाईन इस कार्यालय में अंकित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में एन0आई0सी0 दिल्ली में सम्पर्क किया गया उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव में आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है।

अतः प्रकरण में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा कीजिएगा।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

Samsung Galaxy M06 5G
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

76

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 139 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/07/ 2023.

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून 305
पंजी0 सं0 305
पत्रावली
दिनांक 24/7/23

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में जौलकाण्डे – शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15461/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 13 / 2017 / एफ0सी0 / 1462 दिनांक 29.11.2017।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ने सूचित किया है। इन्हें तीन प्रतियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सं०अ० / प्रभारी बागेश्वर
आ० का० हेतु
24/07
24-7-23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं:– 05963-220249 फैक्स नं:– 05963-220209

पत्रांक 5128 / 127-2 बागेश्वर दिनांक : 23/06 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/15461/2015**

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/13/2017/ एफ0सी0/1462 दिनांक 29.11.2017।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.4708है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 12,45,855.00 मात्र (रू0 बारह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पचपन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR SBINR52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 276/छब्बीस–वन/2017–18 दिनांक 08.12.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–301/ र0का0/व0भू0ह0/2018 दिनांक 23.जून.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**(संलग्न–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा रू0 14,68,658.00 मात्र (रू0 चौदह लाख अठ्सठ हजार छः सौ अठ्ावन) जमा की जा चुकी है। **(संलग्न 01 के अनुसार)**।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न) **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा रू0 27,14,513.00 जमा की जा चुकी है। **(संलग्न 01 के अनुसार)**

	online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
6	State Govt. will submit/upload revised NPV calculation sheet after applying correct density as mentioned in online Part-II.	Revised NPV calculation sheet is being sent. (संलग्न-5)
7	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.	Employment details uploaded at para-E online Part-I.

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सामान्य
03/1/23

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 14 / 2ई.व.भू दिनांक 3 /01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेष्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 4 / 2017 / एफ0सी0 / 1462 दिनांक 29.11.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.4708है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 27,14,513.00 मात्र (रू0 सताईस लाख चौदह हजार पॉच सौ तेरह मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR SBINR52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 276 / छब्बीस–वन / 2017–18 दिनांक 08.12.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–202 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 दिनांक 24.04.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा रू0 27,14,513.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाषः 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/4/2017/एफ0सी0 /1462

दिनांक 29/11/2017

दर्जी. नं. 25 डायरी नं.1650 दिनांक 5-12-17

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1304/X-4-16/1(396)/2016 दिनांक 20.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/15461/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.4708 है0 ग्राम- बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online **Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है**, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit/upload revised NPV calculation sheet after applying correct density as mentioned in online Part-II.
7. State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

संलग्न-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 3082/ 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 28/06/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (15461/2015)

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 1515/2 ई0 व0भू0 दिनांक 11.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना संशोषित कर प्रेषित की जा रही है।

1. भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0 /06 /60 /2016 / एफ0सी0/1525 दिनांक 13.12.2017।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सडक के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क–972/3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2018–19 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.2354 है0	5	0.3	6,57,000.00	14,68,658.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.4708 है0	"–"	"–"	2,78,665.00	12,45,855.00

वनभूमि सहायक

28/6/18

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

demand

NEFT RTGS CHALLAN

जौलकाण्डे - श्रीशास्त्री, 1-11,

FORM 28 HAND RECEIPT

VoC No 23

Bill Type : Normal

E-Sign
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

707211009

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 176, 180, 182, 183)

: बागेश्वर

: बागेश्वर

.... कब तक

1	0	3	
8	9	0	0
1	1	7	
0			

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(8443)सिविल जमा
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(00)--
लघुशीर्षक -	(108)लोक निर्माण कार्य जमा
उपशीर्षक -	(01)डिपॉजिट वर्क (लोक निर्माण विभाग)
ब्योरेवार शीर्षक -	(00)
वाउचर दिनांक	

...जाता है)

: मतदेय

कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

8	4	4	3	0	0	1	0	8	0	1	0	0

: अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

4	2	2	7

: अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

Connect अनुदान संख्या 14- सोर्स कोड :0 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपि संलग्न करें)

Project : PR8900422707211000 NPV Payment for Uttranchal Campa
Contract :

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

बजट की वर्तमान स्थिति

	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
	33142641	11776253	21366388

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
	27,14,513
-	27,14,513
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	

कटौतियों का कोड सहित विवरण

	-
77- सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	27,14,513

व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रु0	अभ्युक्ति
	27,14,513	
-JUL-2021/	27,14,513	
...जन के बाद	-	
	27,14,513	

...में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक ...क के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

निकासी ... हस्ताक्षर
(केवल ... होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...s Twenty Seven Lacs Fourteen Thousand Five Hundred Thirteen Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

...iciary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount

1-11

7/12/2021

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461755
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	2714513/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Fourteen Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115461755 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461755
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	2714513/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Fourteen Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115461755 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

FORM 28 HAND RECEIPT

ragraph 284, 290 and 304) Pass for Rs 27,14,513=4) advanced

is a simple from of voucher for all miscelianueous payment and

the special form 14, 25, 26 & 27 are suitable.

Voucher No. 23 Dated 12/7/2021

Cheque/Cash Rupees (27,14,513=4) to Uttarachanchal Combo [illegible]

y me ______ incharge Bageshwar

ED from the E.E P.D. P.W.D. Division the sum of Rs. 27,14,513=4

ision AER

Name of Work purpose for which payment in made

[illegible] N.A.V. [illegible]

c/s for Rs 2714513=0

L MB No. 610(L)

(29) [signature] O.E.

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

Amount in Vernacular [illegible] M[illegible] 12/7/21

20

Signature of payee

Stamp

(III)

...ress, Bageshwar ☎ : 220059

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

संलग्न-2

आदेश

11/11/021
15/6/2018

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर के अंतर्गत जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.235 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 4.470 है0 जो ग्राम बदियाकोट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या –110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4320 रकवा 7.313 है0 मध्ये 2.413 है0 एंव खेत नम्बर 4321 रकवा 7.313 है0 मध्ये 2.057 है0 कुल 02 खेत रकवा 4.470 है0 जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या–2173/xviii(ii)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर,2012तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08 सी/यू0सी0पी0/06/4/2017/एफ0सी0/1462 दिनांक 29.11.2017 में में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –170/ छब्बीस –07वन /2017–18 दिनांक12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,कपकोट।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11/06/18
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

5333
12-1-2
15/6/2018

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

25657

2411

021FC

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–301 / र०का० / वन भू०ह० / 2018 दिनांक 23 जून ,2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 2363 दिनांक 28.6.18

विषय– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 2.235 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.470 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 170 / छब्बीस– 07 वन / 2017–18 दिनांक 12 / 6 / 18 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमायशी खेत नं० 4320 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.413 है० एवं खेत नम्बर 4321 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.057 है० कुल 02 खेत रकवा 4.470 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण दर्ज कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

तहसीलदार
कपकोट

ग्रा० ज०वि० खतौनी उद्धरण

2॥।/

मौजा राज० नि० क्षेत्र [illegible] तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर।

1(3) ख जंगल

	नाम खातेदार	फ०वर्ष	खेत नं०	रकबा	लगान	विवरण
10	जंगल		१४८	५॥		जिला अधिकारी बागेश्वर के आदेश 170/ [illegible] 2017-18 दि० 12.06.18 के अनुपालन में [illegible] 2172/xviii(1)/2012 (120)2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं० [illegible] 2017/[illegible] दिनांक 21.11.2017 में [illegible] के अधीन ग्राम [illegible] के खाता सं० 110 के [illegible] खेत नं० 4320 रकबा 1.313 है० में से 0.005 है० खेत नं० 4321 रकबा 1.312 है० में से 0.050 है० कुल 2 खेत रकबा 0.055 है० श्रेणी 1(3) जंगल के स्थान पर [illegible] भूमि को [illegible] लोक निर्माण विभाग [illegible] के नाम हस्तान्तरित किया।
			१४९	२२१		
			१४७५	३९८॥।		
			१४७६	१७७॥		
			१४७७	१२५		
			१४८०	८५॥।		
			जुमला			
			४३१८	२६२॥		
			४३१९	१११५॥=		
			४३२०	३६५॥=		
			४३२१	३६५॥=		
			४३२२	२०३=		
			४३२३	२०३=		
			जुमला			
			८२९१	६४=		
			८२९२	२६॥=		
			८२९३	३७॥		
			८२९४	४४।		
			८२९६	२१॥=		
			८२९७	२२॥		
			८२९८	९॥=		
			८२९९	॥=		
			८३०१	२।-		
			८३०२	५		
			८३०३	३		
			८३०४	॥=		
			८३०५	२-		
—		योग	३७८	५६०४१३	—	

(हस्ताक्षर) रा०उ०नि० कपकोट 22/06/18

P. C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

महोदय,
असल खतौनी से खतौनी उद्धरण तैयार किया।

सत्यापित।

तहसीलदार
तहसील कपकोट
23/6/18

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र [illegible]

2411/

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/15461/2015** योजना **जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम बदियाकोट में **4.470 है0** सिविल भूमि (सिविल / सोयम / बंजर / अवनत वन / अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 170 / छब्बीस–7 वन / 2017–18 दिनांक 12.06.2018 से हस्तान्तरित / आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 / 20 / 29 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल / कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

संलग्न-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 2505 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12 / 1 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.2354 हे0	5	0.3	1005210.00	22,47,046.00	14,68,658.00	7,78,388.00
	कुल योग					22,47,046.00	14,68,658.00	7,78,388.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

डौलाकाण्डे - श्रीबारवानी मोटर मार्ग

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461337
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	778388/-

Amount in Words :Seven Lakh Seventy-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115461337 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461337
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	778388/-

Amount in Words :Seven Lakh Seventy-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115461337 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

4230845038

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

23/03/23

3414/

2.37

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे–शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संलग्न–4

2.13

प्रपत्र सं0– 46.1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे–शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग .द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P. C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

संलग्न-5

परियोजना का नाम – जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण ।

एन0 पी0 वी0 की धनराशि प्राकलन (संशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नयी दिल्ली के आदेश संख्या 5–3 / 2007-FC (Vol-I) दिनांक 05.02.2009 के उल्लेखित शासनादेश के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता धनराशि निम्नानुसार है।

1- Eco class- V

2- Density of vegetation- 0.3

3- NPV rate per herctare-6.57 (Lakh)

(NPV rates with the compliance to the Supreme Cout's mandate)

4- Total forest land- 2.2354 hec

5- Total payable amount-14.68658 (Lakh)

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।